Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राजस्थान सरकार जरिये गोपाल लाल धाकड कृषि अधिकारी (सामान्य) बनाम **मैसर्स बोडाना ट्रेडर्स वगैराह**

किस्म मुकदमा **अपील (रसद)** नं0 **005** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2023	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार **गोपाल लाल धाकड** कृषि अधिकारी (सामान्य) हाजिर। अधिवक्ता विपक्षी हाजिर। संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/निल दिनांक 20.03.2023 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित किया है जो कि शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। संयुक्त निदेशक द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो कि शामिल पत्रावली है। संयुक्त निदेशक द्वारा अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि मैसर्स बोडाना ट्रेडर्स निम्बाहेडा द्वारा अपीलीय अधिकारी एवं आयुक्त कृषि को प्राधिकार पत्र के निरस्तीकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अवगत करावाया की औद्योगिक क्षेत्र निम्बाहेडा में स्थित उक्त गोदाम में जब्त किया गया यूरिया उर्वरक मेसर्स नाकोडा खाद भण्डार, सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा का है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक/एफ.4(ा)उवर्रक/अपील/2022–23/6130–32 दिनांक 19.10.2022 से मैसर्स बोडाना ट्रेडर्स निम्बाहेडा के प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपील की गई सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है, निर्णयानुसार विपक्षी भविष्य में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के समस्त प्रावधानों की शत–प्रतिशत पालना करने की चेतावनी देते हुए विपक्षी को जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 689 को बहाल किया गया। उक्त निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में विपक्षी के निलम्बित प्राधिकार को आयुक्त कृषि एवं अपीलांट ऑथोरिटी द्वारा बहाल किया जा चुका है एवं आयुक्त कृषि एवं अपीलांट ऑथोरिटी द्वारा फर्म की प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी गई है इसके साथ ही जब्तशुदा माल के संबंध में अपने निर्णय दिनांक 19.10.2022 के पैरा संख्या 2 में अंकन किया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण जब्तशुदा माल का निस्तारण वर्तमान परिस्थितियों में इस न्यायालय से किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रकरण संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नवीन परिस्थितियों में प्रकरण की नियमानुसार पुनः जांच कराना सुनिश्चित करावें, एवं जांच उपरांत प्रकरण यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत पाया जाता है तो नवीन प्रकरण प्रस्तुत कराने हेतु संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार स्वतंत्र है अन्यथा दिनांक 26.04.2022 को जब्तशुदा माल का विधिक मालिकाना हक तय कर नियमानुसार निस्तारण अपने स्तर से करावें। इसी आदेश के साथ हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को आदेशिका की प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 28.03.2023	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official